# न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

**जी.सी.एम.नम्बर 2023/179**

1. प्रेमप्रकाश मीणा दत्तक पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम डोलाकाबास तहसील चौमू जिला जयपुर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम डोलाकाबास तहसील चौमू जिला जयपुर ।
2. रेणू पत्नी स्व. महेश कुमार जाति मीणा निवासी ग्राम डोलाकाबास तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील चौमू आदेश दिनांक 17–10–2022 मिसल संख्या 19/2019 बउनवानी मंजू देवी बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांक–06.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार चौमू के आदेश दिनांक 17.10.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मंजू देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू के समक्ष वाके ग्राम डोला का बास में स्थित भूमि आराजी खाता संख्या 22, 79, 80, 81 के मृतक खातेदार बिदामी देवी के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोले जाने हेतु निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2022 को अपील स्वीकार कर खाता संख्या 22, 79, 80, 81 में मृतका बिदामी देवी के दर्ज हिस्से का नामान्तरकरण मन्जु देवी (पुत्री), रेणु देवी (पुत्र की विधवा) एवं प्रेमप्रकाश (दत्तक पुत्र) के पक्ष में खोले किये जाने के आदेश दिये गये।

3. तहसीलदार चौमू के उक्त निर्णय दिनांक 17.10.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रेमप्रकाश मीणा दत्तक पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण मीणा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार चौमू के निर्णय दिनांक 17.10.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेण्ट 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा एक कुर्सीनामा नोटेरी पब्लिक तस्दीक किया हुआ ग्राम पंचायत डोलाकाबास के समक्ष दिनांक 20–06–2019 को प्रस्तुत किया गया कि मृतक लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ के वारिसान बिदामी देवी पत्नी, महेश पुत्र, व मंजू पुत्री है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई । रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि खाता संख्या 22, 79, 80, 81 में बिदामी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण व महेश पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम खातेदारी दर्ज है बिदामी की मृत्यू दिनांक 26–11–2018 व महेश कुमार की मृत्यू दिनांक 17–03–2006 को हो चुकी है मृतक बिदामी देवी के एक पुत्र महेश तथा एक जायन्दा पुत्री मंजू देवी है । महेश कुमार के कोई संतान नही है। उसके एक विधवा रेणू देवी है। जो गाव मे नही रहती है। रिपोर्ट के साथ मृत्यू प्रमाण पत्र लक्ष्मीनारयाण/बिदामी देवी/महेश कुमार/कुर्सीनामा पेश किया गया। अपीलान्ट को नोटिस जारी नही होने पर एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 30–10–2019 को स्वीकार किया गया। उसके पश्चात् अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंजू देवी द्वारा दिनांक 03–06–2019 को कुर्सीनामा पेश किया गया है वह भी तथ्यो को छिपाते हुये पेश किया गया है जबकि अपीलान्ट को दिनांक 15–05–2008 को बिदामी देवी के द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया है दत्तक पत्र उपपंजीयक चौमू के पंजीकृत करवाया गया है । इस प्रकार जो कुर्सीनामा पेश किया गया है वह गलत है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनूसूचित जन जाति पर लागू नही होता है। विवाहित पुत्रीयो का पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रहता है। तथा रेणू देवी पत्नी महेश अपीलान्ट प्रेम प्रकाश मीणा से चूड़ी पहन कर पुर्नविवाह दिनांक 28–3–2006 को सम्पन्न कर लिया था । उसके पश्चात् वह अपीलान्ट के साथ रहती है तथा निवेदन किया कि हाल राजस्व रिकोर्ड में दर्ज खातेदार बिदामी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण, महेश पुत्र लक्ष्मीनारायण फौत होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण अकेले दत्तक पुत्र प्रेमप्रकाश वारिस होने के कारण तस्दीक किया जाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2022 को बिना बहस सुने व बिना बयान लिये ही एवं बिना तथ्यों पर गौर किये एवं बिना विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधिविरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू दिनांक 17.10.2022 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 12.04.2023 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद विवादित भूमि आराजी खाता संख्या 22, 79, 80, 81 के मृतक खातेदार बिदामी देवी के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोले जाने को लेकर है एवं पत्रावली पर उपलब्ध

रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि रिपोर्ट पटवारी, जवाब एवं मृतका बिदामी देवी द्वारा प्रेमप्रकाश के पक्ष में पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 15.05.2008 पुस्तक संख्या 04, जिल्द संख्या 07 क्रम संख्या 2008000046 पर पंजीबद्व है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण आदेश एवं पंजीकृत गोदनामें से यह सिद्व होता है कि अपीलांट प्रेमप्रकाश मीणा, स्व. लक्ष्मीनारायण मीणा का दत्तक पुत्र है एवं महेश के फौत होने पर रेणू ने दत्तक पुत्र प्रेम प्रकाश मीणा का चुडा पहन पूर्ण रिति–रिवाज से विवाह कर लिया एवं जहॉ तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने का प्रश्न है इस संबंध में यह स्वीकृत स्थिति है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिओं पर लागू नहीं होता। धारा 2(2) में इस बारे में प्रावधान किया है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय में विवाह के पश्चात् पुत्रियों को विरासत की सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिलता बल्कि मीणा समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाज एवं प्रथा के अनुसार विरासत निर्धारण की जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2022 पारित करने में विधिक त्रुटि की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः आदेश है कि**: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू का उक्त निर्णय दिनांक 17.10.2022 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
**जयपुर**

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त,
**जयपुर।**